229 12 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों से पट्टे पर आवास के लिए किराए की वसूली।

अधोहस्ताक्षरी को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को आवास किराए भत्ते के भुगतान के संबंध में सरकारी उद्यम विभाग का दिनांक 03.03.1992 का कार्यालय ज्ञापन सं. 2(8)/91–डीपीई(डब्ल्यूसी) देखें। सीपीएसई के कर्मचारियों से पट्टे पर आवास के लिए किराए की वसूली। दिनांक 03.03.1992 के कार्यालय ज्ञापन में विहित है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम उन कर्मचारियों से, जिन्हें पट्टे पर आवास मुहैया कराया गया है, उनके संशोधित मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से किराए की वसूली करेगा। तथापि, सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 10.12.1997 के कुछ अन्य दिशानिर्देशों के साथ उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन मंसूख कर दिया गया था।

2. हालांकि, बोर्ड स्तर से निचले स्तर के पदधारक कार्यकारी अधिकारियों के 1992 में वेतन संशोधन के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिनाक 19.7.1992 के कार्यालय ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ स्पष्ट तौर पर प्रावधान है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदान किए गए सुसज्जित और गैर–सुसज्जित आवास के किराए के लिए वसूली दिनांक 3.3.1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(8)/91–डीपीई(डब्ल्यूसी) के पैराग्राफ 4 के क्रमशः उप–पैराग्राफ (x) और (xii) में दिए गए ब्यौरे के अनुसार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोक उद्यम विभाग का दिनांक 19.07.1995 का कार्यालय ज्ञापन केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के संबंध में आवास किराए भत्ते के भुगतान और पट्टे के आवास हेतु किराए की वसूली के संबंध में, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 3.3.1992 के प्रावधानों को पुनः प्रकट करता है। यह भी उल्लेख किया जाए कि 1997 के साथ ही 2007 के वेतन संशोधन में केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड स्तरीय कार्यकारी अधिकारियों के लिए आदर्श नियमों एवं शर्तों में 10 प्रतिशत किराया वसूली जैसे समान प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 26.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन में पैरा 2 I (ख) में किराया वसूली के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण किया गया है।

3. इस प्रकार, वर्तमान स्थिति यह है कि भले ही दिनांक 3.3.1992 का कार्यालय ज्ञापन रद्द कर दिया गया हो, किराए की वसूली से संबंधित उसमें निहित प्रावधान अभी भी प्रचलित हैं।

4. उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सुनिश्चित करे कि किराए की वसूली निम्नानुसार होः–

(i) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा व्यवस्थित पट्टे पर लिए गए आवास (स्वयं अथवा अन्यथा लीज पर लिए गए) के संबंध में कर्मचारियों से किराए की वसूली मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक किराए पर, जो भी कम हो की जाएगी।

(ii) कंपनी द्वारा अपनी टाउनशिप में अथवा इसके द्वारा खरीदे गए फ्लैटों के पूल से दिए गए और कर्मचारियों को आबंटित आवास के लिए किराए की वसूली मूल वेतन के 10 प्रतिशत अथवा कंपनी द्वारा निर्धारित मानक किराए पर, जो भी कम हो, की जाएगी।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(68)/08–डीपीई(डब्ल्यूसी)–जीएल–IV/12, दिनांक 20 मार्च, 2012)

*****